

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ3 (ख) आर-284/88 लिंक नं0 1740/अलेसे-11/4495-4500 दिनांक:- 30/5/14

कार्यालय आदेश

श्री रमेश राठौड , लेखाकार (आर-284/88 लिंक नं0 1740) कार्यालय कोषालय, (शहर), जोधपुर का दिनांक 16.05.2014 को स्वर्गवास हो जाने का कारण इन्हे दिनांक 16.05.2014 मध्याह्न पश्चात् से लेखाकार संवर्ग से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश राठौड के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

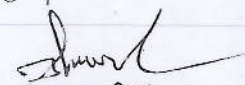

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ3 (ख) आर-284/88 लिंक नं0 1740/अलेसे-11/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर को भेजकर लेख है कि स्व. श्री रमेश राठौड की पत्नी अथवा अन्य आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति लेने हेतु इच्छुक हों तो आवेदन पत्र कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की पूर्ति करके भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमती रतन कंवर स्व. श्री रमेश राठौड , मकान नं0 181, सुभाष नगर -11, पाल रोड, जोधपुर।
3. उपनिदेशक, एसीपी वेबसाइट में अपलोड हेतु।
4. डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(डा0 कृष्ण मल मीणा)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-11}